उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-3/2017/वे0आ0-2-114/दस-69(सामान्य)/2010

लखनऊ : दिनांक : 23 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/3075/दस-69(सामान्य)/2010 दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ) के लिए विभिन्न श्रेणी के कुल 15 पदों का सृजन किया गया। उक्त पदों का कार्यकाल कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2017/वे0आ0-2-191-दस-69(सामान्य)/ 2010 दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक के लिए बढाया गया। उक्त पदों में वरिष्ठ परामर्श दाता का 01 पद तथा समीक्षा अधिकारी के 02 पदों की आवश्यकता विभाग में नहीं है। शेष सभी पदों की आवश्यकता विभाग में बनी हुयी है। अत: राज्यपाल महोदय निम्नांकित सभी 12 पदों की निरन्तरता दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए, यदि इसके पूर्व ही इन पदों समाप्त न कर दिया जाय, बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पुनरीक्षित मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ परामर्श	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन 7600, लेवल-12 (वेतनमान रू0 78800-209200)	01
2	विशेष कार्याधिकारी (नियमावली)	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन 6600, लेवल-11 (वेतनमान रू0 67700-208700)	01
3	विशेष कार्याधिकारी (विधि)	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन 6600, लेवल-11 (वेतनमान रू0 67700-208700)	01
4	शोध अधिकारी	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन 5400, लेवल-10 (वेतनमान रू0 56100-177500)	01
5	सहायक समीक्षा अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200, लेवल-6 (वेतनमान रू0 35400-112400)	02
6	कम्प्यूटर सहायक	वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2400, लेवल-4 (वेतनमान रू0 25500-81100)	02
7	अनुसेवक	वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 1800, लेवल-1 (वेतनमान रू0 18000-56900)	04

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों (संविदा कर्मचारियों को छोडकर) को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं जो भी समय-समय पद शासन द्वारा स्वकृति किये जायें, देय होंगे।

3- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-105-विशेष जांच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या-3/2017/वे0आ0-2-114/दस-69(सामान्य)/2010तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

4- वित्त (सेवायें) अनुभाग-4

5- इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

6- लेखाकार-कम कोषाध्यक्षा, कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

8- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5/6

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।